विरोध में आ गया है और कुलकुलगुरु कार्यालय को निशाने पर ले रहा है।

कौन से आदेश पर लगाई गई है रोक

विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल ने शासन के निर्देशों और समिति की अनुशंसा के आधार पर 21 जून को 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत सभी पात्र कर्मचारियों की फाइलें आगे बढ़ाई गईं और उनके सेवा अभिलेखों को दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया गया ताकि उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह सभी वित्तीय लाभ और बढ़ा हुआ वेतन मिल सके। लेकिन जैसे ही यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश वर्मा को इसमें कुछ नियमों के विपरीत होने की आशंका हुई। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए 14 जुलाई को एक आधिकारिक आदेश जारी किया और 21 जून के उस आदेश पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रोक लगा दी। कुलकुलगुरु के इस अचानक उठाए गए कदम से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है क्योंकि इससे पहले कार्यपरिषद ने इस रोक के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब इस

वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश शासन ने परिपत्रक विश्वविद्यालयों में दस साल से सेवा दे रहे दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने के निर्देश दिए थे। इसी नीति के तहत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक विशेष समिति का गठन किया गया था जिसने अपनी जांच के बाद पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार की थी। समिति की इसी अनुशंसा को कार्यपरिषद के सामने रखा गया था जिसकी हरी झंडी मिलने के बाद कुलसचिव ने नियमितीकरण के आदेश जारी किए थे। अब कुलकुलगुरु का यह कहना है कि यदि प्रक्रिया में कोई भी विसंगति पाई जाती है तो जांच के दायरे में वे तमाम लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने समिति में रहकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। इस पूरे विवाद ने विश्वविद्यालय के आंतरिक कामकाज और निर्णयों पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्मचारियों का भविष्य इस समय अधर में लटका हुआ है क्योंकि प्रशासनिक फेरबदल और रोक के कारण उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस कानूनी और प्रशासनिक उलझन को किस प्रकार सुलझाता है और क्या कर्मचारियों को उनका हक मिल पाता है या नहीं।

दिया है। इसी कड़ी में निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने शहर की मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य रूप से लोककर्म, जल प्रदाय, विद्युत व्यवस्था और सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। निगमायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि सभी अधिकारी केवल दफ्तरों तक सीमित न रहें बल्कि मैदानी स्तर पर उतरकर सीधे कार्यप्रणाली की निगरानी करें। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि स्थानीय पार्षदों और आम नागरिकों के साथ बेहतर आपसी तालमेल बनाकर ही हर समस्या का स्थाई समाधान निकाला जा सकता है। शहरवासियों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के साथ ही जल संरक्षण के प्रति गंभीर प्रयास करने की बात कही गई है। इसके साथ ही विद्युत व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

पेयजल सुरक्षा और मजबूत बिजली नेटवर्क पर जोर

जल संकट से निपटने और अंधेरे को दूर करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। निगमायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर के हर कोने तक स्वच्छ पानी की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के पहुंचनी चाहिए। पाइपलाइन लीकेज और गंदे पानी की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा ताकि किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो। इसके साथ ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण के पुख्ता इंतजाम करने पर भी बल दिया गया है। मुख्य सड़कों से लेकर अंदरूनी बस्तियों और गलियों तक स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा ताकि रात के वक्त सुरक्षा और रोशनी बेहतर बनी रहे। विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए मैदानी अमले को पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के आदेश दिए गए हैं।

विकास कार्यों में तेजी और जनशिकायतों का समाधान

शहर के विकास को गति देने के लिए लोककर्म विभाग के चल रहे निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता की सख्त समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने सभी विभागीय प्रमुखों को कड़ी हिदायत दी कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए ताकि जनता को उनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की गंभीरता से देखरेख करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि हर शिकायत का समाधान इस तरह किया जाए कि शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट हो सके और उसका सकारात्मक रवैया दर्ज किया जा सके।

जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव

अधिकारी जीएस ठाकुर का इस्तीफा

स्वदेश ज्योति संवाददाता, जबलपुर

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सोमवार को पूरी होनी थी लेकिन सुबह से ही माहौल बेहद गरमा गया और भारी हंगामा शुरू हो गया। इस भयंकर गतिरोध और अव्यवस्था के बीच निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना पूरी तरह असंभव हो गया जिसके चलते मतदान को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम और विवाद के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी जीएस ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा देने की आधिकारिक घोषणा कर दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मौजूदा हालातों में वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हैं और इस पूरी घटना की विधिवत सूचना राज्य अधिवक्ता परिषद को भेज दी गई है। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव 2026 के तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को मतदान होना था लेकिन सुबह से ही मतदान केंद्र पर वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक और जबरदस्त गहमागहमी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह माहौल भारी हंगामे और भयंकर अव्यवस्था में बदल गया जिससे वहां शांति व्यवस्था बनाए रखना पूरी तरह असंभव हो गया। बढ़ते तनाव और हंगामे के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी जीएस ठाकुर के लिए चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं रहा। भारी विरोध और गतिरोध को देखते हुए अंततः मतदान प्रक्रिया को बीच में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का कड़ा फैसला लिया गया ताकि किसी भी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके।

मुख्य चुनाव अधिकारी ने परिषद को रिपोर्ट भेजी

चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही रुकने और भारी बवाल के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी जीएस ठाकुर ने एक बड़ा कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उनका कहना था कि इस तरह के अशांत और दबावपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न करवाना उनके बस में नहीं है और वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत इस पद पर अब बने नहीं रह सकते।

कार्यालय संभागीय अधिकारी संभाग क्रमांक-03 रामपुर (शक्ति भवन रोड) नगर निगम जबलपुर
पत्रांक/सं.क.-03/एम/2026-27/166
दिनांक 20/07/2026

-:भवन नामांतरण सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अमित बालोटिया पिता श्री सी.एल. बालोटिया एवं श्रीमति मंजू बालोटिया पति श्री अमित बालोटिया (संपत्ति पिन नं.- 10006 01927) ने भवन क्रमांक खसरा नं. 12/1,12/4 का भाग, वार्ड स्थानीयार, एरिया 688 वर्गफुट, मूतल 450 वर्गफुट, प्रथम तल 450 वर्गफुट, विक्रय पत्र के आधार पर नगर निगम के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त भवन क्र. खसरा नं. 12/1,12/4 का भाग, वार्ड स्थानीयार, गृह स्वामी (कम्प्यूटर प्रविष्टि अनुसार) श्री तरद्र ओलखाल एवं संतोष ओलखाल के स्थान पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत नामांतरण पर आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 15 दिवस के अंदर संभागीय कार्यालय क्र.-3 शक्ति भवन रोड रामपुर नगर निगम जबलपुर में प्रमाण एवं दस्तावेज सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

संभागीय अधिकारी
संभाग क्रमांक -03 रामपुर
नगर निगम, जबलपुर

कार्यालय संभागीय अधिकारी संभाग क्रमांक-03 रामपुर (शक्ति भवन रोड) नगर निगम जबलपुर
पत्रांक/सं.क.-03/एम/2026-27/167
दिनांक 20/07/2026

-:भवन नामांतरण सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेश मनोहर मनोवा (संपत्ति 77167) ने भवन क्र. भाग, वार्ड तंकरताह नगर, [illegible] वर्गफुट, सहमति विलेख के आधार पर नगर निगम के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त भवन क्र. 7/1, 2/1 का भाग, वार्ड तंकरताह नगर, गृह स्वामी (कम्प्यूटर प्रविष्टि अनुसार) श्री राकेश मनोवा, राजेश मनोवा, श्री रमेश मनोवा के स्थान पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत नामांतरण पर आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 15 दिवस के अंदर संभागीय कार्यालय क्र.-3 शक्ति भवन रोड रामपुर नगर निगम जबलपुर में प्रमाण एवं दस्तावेज सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

संभागीय अधिकारी
संभाग क्रमांक -03 रामपुर
नगर निगम, जबलपुर

य में नवीनीकृत कार्यालय एवं हॉल का हुआ शुभारंभ

सुव्यवस्थित, आकर्षक एवं कार्य के अनुकूल स्वरूप प्रदान किया गया है। बेहतर प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुविधाएं तथा कार्यस्थल की समुचित व्यवस्था से कर्मचारियों को अधिक सुविधाजनक एवं सकारात्मक कार्य वातावरण प्राप्त होगा। इससे परिचालन संबंधी कार्यों के निष्पादन में दक्षता, समन्वय एवं कार्यकुशलता में और अधिक वृद्धि होने की अपेक्षा है। मंडल रेल प्रबंधक श्री तलरेजा ने इस अवसर पर कहा कि कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना रेलवे प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। आधुनिक एवं सुव्यवस्थित कार्यालय न केवल कार्यक्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल एवं उत्पादकता में भी सकारात्मक वृद्धि करते हैं। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री प्रिंस ने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया तथा नवीनीकृत कार्यालय के सफल निर्माण एवं शुभारंभ में सहयोग देने वाले सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की।

NOTICE

Motilal Oswal Financial Services Limited
SEBI Registration No.: INZ000158836
Member of Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX); Member ID 55930, BSE Limited (BSE) Clearing No.: 446, National Stock Exchange of India Ltd (NSE) Member ID 10412 (NCDEX) ID 1240
Registered office Address of Member: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Tel No.: 022-7193 4200.

This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory reasons/concerns.

Exchange	Name of AP	Trade Name of AP	Address of AP	AP Registration No.
MCX	GNS FINANCIAL SERVICES PVT LTD	GNS FINANCIAL SERVICES PVT LTD	WARD NO. 1, COLLAGE COLONY, AMARKANTAK ROAD, DHANPURI SHAHDOL, SHAHDOL, MADHYA PRADESH, INDIA, 484114.	MCX/AP/173403
BSE	GNS FINANCIAL SERVICES PVT LTD	GNS FINANCIAL SERVICES PVT LTD	WARD NO. 1, COLLAGE COLONY, AMARKANTAK ROAD, DHANPURI SHAHDOL, SHAHDOL, MADHYA PRADESH, INDIA, 484114.	AP01044601155280
NSE	GNS FINANCIAL SERVICES PVT LTD	GNS FINANCIAL SERVICES PVT LTD	WARD NO. 1, COLLAGE COLONY, AMARKANTAK ROAD, DHANPURI SHAHDOL, SHAHDOL, MADHYA PRADESH, INDIA, 484114.	AP0297567493

Any person dealing with the above-mentioned Authorised Person henceforth shall do so at their own risk. **Motilal Oswal Financial Services Limited** shall not be liable for any dealings with the said entity post the issuance of this notice.

Investors having any queries or concerns regarding this matter are requested to contact **Motilal Oswal Financial Services Limited** within **15 days** from the date of issuing this notice.

For **Motilal Oswal Financial Services Limited**

Date: July 20, 2026
Place: Mumbai

Sd/-
Authorised Signatory

र्मचारी ी पर फ

धिकरण के ाव, प्रशासनिक मध्य रेलवे से

क्षम मध्य लवे को री किया नोटिस

निवृत्ति के बाद गभग 15 वर्षों गई है। इसके ,762 रुपये की ीम कोर्ट के उन वृत्त कर्मचारियों ार पर अनुचित कि रेलवे जल्द तत्काल राहत अगली सुनवाई की जानी है तो जवाब दाखिल

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

खैरी शाखा, एच.आई.जी.- 54, सुभाष नगर (महाराजपुर), खैरी, जबलपुर- 482004 (म.प्र.)
Phone - 9752413465, Email - khairi@bankofbaroda.com

ई- नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु नोटिस

परिशिष्ट– IV क (नियम 6 (2) एवं 8(6) का परन्तुक देखें)

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6 (2) एवं 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियाँ जो **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित हैं, जिसका **भौतिक कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को **''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है''** एवं **''दायित्व रहित के आधार पर''** के आधार पर निम्न वर्णित खनियों को **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार को निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई– नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

क्र.	शाखा का नाम	शाखा/खनी/जमानतदार/बंधककर्ता का नाम	बकाया राशि	खान एवं अचल संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम/संपत्ति का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	ई– नीलामी की दिनांक एवं समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड वृद्धि राशि	कब्जा की स्थिति स्वनामधन्य/ भौतिक	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय
1	Base Branch Khairi	1. श्रीमती प्रभा पटेल पत्नी स्वर्गीय श्री मनीष कुमार पटेल (स्वर्गीय श्री मनीष कुमार पटेल की कानूनी उत्तराधिकारी) पता: सी/ओ लक्ष्मी, मकान नंबर 20, ग्राम- ताला, सहजपुरा, जबलपुर, म.प्र.- 483222 2. श्री देवेश पटेल, पुत्र स्वर्गीय श्री मनीष कुमार पटेल (स्वर्गीय श्री मनीष कुमार पटेल के कानूनी वारिस, उनकी माता और स्वाभाविक अभिभावक श्रीमती प्रभा पटेल के माध्यम से) पता: सी/ओ लक्ष्मी, मकान नंबर 20, ग्राम- ताला, सहजपुरा, जबलपुर, म.प्र.- 483222 3. श्री सत्यम पटेल, पुत्र स्वर्गीय श्री मनीष कुमार पटेल (स्वर्गीय श्री मनीष कुमार पटेल के कानूनी वारिस, उनकी माता और स्वाभाविक अभिभावक श्रीमती प्रभा पटेल के माध्यम से) पता: सी/ओ लक्ष्मी, मकान नंबर 20, ग्राम- ताला, सहजपुरा, जबलपुर, म.प्र.- 483222	Rs 14,12,174/- (Rupees Fourteen Lacs Twelve Thousand One Hundred Seventy Four Only) + Interest + Other Charges	म.प्र. हाउसिंग बोर्ड, सुभाष नगर, महाराजपुर, वार्ड नंबर 75, तहसील पनागर, ज़िला जबलपुर में स्थित रिहायशी मकान का ढक्विटेबल मॉर्गेज (बंधक), मकान नंबर ELLIG 109, जिसका कुल क्षेत्रफल 532.62 Sq ft है (ग्राउंड फ्लोर - 236.69 वर्ग फुट, फ़र्स्ट फ्लोर - 236.69 वर्ग फुट), जो स्वर्गीय श्री मनीष कुमार पटेल का है। सीमाएँ:- उत्तर - EL-108, दक्षिण - EL 110, पूर्व - कॉलोनी रोड, पश्चिम - EL 120	25/08/2026 2.00 pm to 6.00 pm	Rs. 15,80,000/- / Rs.1,58,000/- / Rs. 25,000/-	भौतिक	14/08/2026

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://bankofbaroda-in/eauction-html और https://baanknet.com पर दिए गए लिंक को देखें। इसके अलावा, संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारी फोन नंबर- 0761-2409255, 9752413465 से संपर्क कर सकते हैं।

स्थान: जबलपुर, दिनांक: 21.07.2026

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

विचार प्रवाह

लड़कियों को पढ़ाई में सुविधा के लिए स्कूटी देने की योगी सरकार ने घोषणा की थी